राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

करोडों की ठगी करने वाला फरार स्थाई वारंटी गिरफ्तार

जयपुर, 13 नवम्बर। पुलिस उपायुक्त, जयपुर दक्षिण श्री योगेश दाधीच ने बताया कि पुलिस थाना ज्योति नगर जयपुर में वर्ष 2009 में देश के नामी एम.बी.ए. संस्थानों में दाखिले का झांसा देकर करोडों की ठगी करने वाला शशि शेखर उर्फ चन्द्र शेखर पुत्र श्री नवल शर्मा उम्र 42 साल निवासी गांव खैरा पोस्ट रोनिया थाना महाकार जिला गया बिहार हाल फ्लेट नंबर 402, बृज सरोजनी अपार्टमेन्ट, मीठापुर बस स्टैंड रोड थाना जक्कनपुर पटना, बिहार के विरूद्ध थाना ज्योतिनगर में अभियोग संख्या 198/2009, 200/2009, 204/2009, 205/2009, 206/2009 व 215/2009 धारा 420,468 व 120बी आईपीसी में कुल 6 अभियोगों में गिरफ्तार किया गया था। जो न्यायालय से जमानत पर रिहा होकर पिछले लगभग 7 वर्षो से फरार चल रहा था। न्यायालय द्वारा सभी अभियोगो में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखे थे। जिसकी गिरफ्तारी के काफी समय से प्रयास किये जा रहे थे।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण श्री योगेश गोयल व सहायक पुलिस आयुक्त अशोक नगर श्री रामगोपाल शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी ज्योति नगर श्री सुरेन्द्र पंचोली के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री शिम्भु दयाल, हैड कानि. रामवीर सिंह, कानि हरिओम चौधरी, कानि. विक्रम सिंह, एवं हंसराज की टीम का गठन किया गया।

टीम द्वारा अभियुक्त की पटना, जहानाबाद, गया एवं दिल्ली में तलाश की गई। इस अभियुक्त की तलाश के लिए टीम द्वारा पटना में कैम्प किया जाकर मुखबीर मामूर किये गये तथा अभियुक्त के निवास एवं वाईज पाथ प्रबंधन संस्थान पर निगरानी शुरू की गई। लेकिन वह बार–बार अपनी जगह बदलता रहा। तत्पश्चात् टीम प्रभारी श्री सुरेन्द्र पंचोली द्वारा टीम को दो भागों में विभाजित कर एक टीम को दिल्ली में एवं दूसरी को पटना में कैम्प करवाया गया। मुखबीर की मदद् व तकनीकी सहायता से विशेष टीम ने अथक प्रयास कर अभियुक्त शशि शेखर उर्फ चन्द्र शेखर को कल दिनांक 12.11.2017 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध मुम्बई, दिल्ली, पटना व भोपाल में भी विभिन्न अभियोग पंजीबद्ध होना ज्ञात हुआ है।